संख्याः 56 - भू0कय/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 29 जून, 2006

विषयः—मै0 गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज लि0 को तहसील रूड़की के ग्राम थथौला, जिला हरिद्वार में फ्लौट ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु 14.098 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–613/भूमि व्यवस्था–भूमि कय–2005 दिनांक 23 मई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज लि0 को फ्लौट ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(2) एवं उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004की धारा–154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम थथौला में कुल 14.098 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान

.....(2)

की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

7- भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय से आशय पत्र एवं उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8- प्रश्नगत भूमि में से जिस भूमि पर आई.ओ.सी. द्वारा भूमि उपयोग (अर्जन) का अधिकार अधिकृत किया गया है, उस भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण एवं खुदाई पाईप लाइन एक्ट की धारा 15 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्राविधान गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज लि0 पर लागू रहेंगे।

9- इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 एवं हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 के डिपो प्रस्तावित स्थल से नजदीक हैं। अतः अग्निशमन विभाग की भी अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।

10- औद्योगिक आस्थान के नियोजन के अनुरूप ही उद्योग स्थापित किया जायेगा।

11- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बायलॉज के आधार पर ही उद्योग का निर्माण किया जायेगा।

.....3

12– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, डिपॉर्टमेन्ट ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (पॉलिसी एण्ड प्रोमोशन) उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011
2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रा0लि0 देहरादून।
7– निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
8– श्री सुरेश त्यागी, डायरेक्टर, गोल्ड प्लस इण्डस्ट्रीज लि0, जी–192, प्रशान्त विहार, दिल्ली–110085
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।